प्रेस नोट

दिनांक-18.07.2026

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या करने की नियत से फायर करने के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 07-10 वर्ष कारावास व 1,37,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 107/2011 धारा 307/504 भादवि व 27/30 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के अभियुक्तगण 1.बाबूलाल तिवारी पुत्र ओरी तिवारी, 2.हनुमान प्रसाद दन्तक पुत्र कालिका व 3.पप्पू उर्फ सुनील कुमार पुत्र बाबूलाल निवासीगण बनबीरपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने मे सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरुप मा0 न्यायालय एडीजे-04 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तों को आज दिनांक 18.07.2026 को क्रमशः **1.**बाबूलाल तिवारी पुत्र ओरी तिवारी को धारा 307/34 भादवि में 07 वर्ष कारावास व 50,000 रु0 अर्थदण्ड व धारा 504 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड, **2.**हनुमान प्रसाद दन्तक पुत्र कालिका को धारा 307/34 भादवि में 10 वर्ष कारावास व 50,000/- रु0 अर्थदण्ड व धारा 504 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड व **3.**पप्पू उर्फ सुनील कुमार पुत्र बाबूलाल को धारा 27 आर्म्स एक्ट में 05 वर्ष कारावास व 15,000/- रु0 अर्थदण्ड व धारा 30 आर्म्स एक्ट में 06 माह कारावास व 2,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा श्री संग्राम सिंह पुत्र राम कृपाल सिंह निवासी बनबीरपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 14.04.2011 समय 18.45 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा उक्त वादी को मारने की नियत से बन्दूक से फायर करने पर मु0अ0सं0 107/2011 धारा 307/504 भादवि व 27/30 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-19 दिनांक 14.05.2011 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।